

फर्द अहकाम

न्यायालय :

उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

दकेद्व बनाम रणवीर कांठ

राज बाबत

रक्षा विधेयाज्ञा

संख्या - 174/2022

दिनांक आज्ञा का कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
------------------------------	----------------------	----------------

12.12.22 वकील वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर रिपोर्ट सरिस्ता प्राप्त की गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते तल्बी प्रतिवादीगण होकर पत्रावली दिनांक 13.12.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

13.1.23 पत्रावली आज पेश हुई।
इतिवृत्त वादी ने
वाद में Not Proves के
लिए ही पत्रावली
पेश की है।
वादी का वाद उनके
इतिवृत्त के अंतर्गत
आम पत्रावली के अंतर्गत
पेश किया है। पत्रावली
निर्णय शुद्ध होकर
नया नंबर देना होगा।

Not Proves
के लिए ही
(कोटपूतली)

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)